

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० १३९ / 2022

तारीख रजू :- 4.8.22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/501

उनवान

श्यामलाल पुत्र मेहरु जाति जाट निवासी पट्टी नारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायलान-06

बनाम

भूपेन्द्र पुत्र बनैसिंह जाति जाट निवासी पट्टी नारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-09

दिनांक	फर्द अहकाम
1.8.22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो।</p>
16/9	<p>(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिकापी नं० 2, 3, 5, 9 की तमील जाट। प्रतिकापी नं० 2, 3, 5, 9 कावपूद सूचना उपस्थित नहीं। उक्त इमेल खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिकापी नं० 1, 4, 6 एवं 8 की तमील जाट पुनः तलवना पेश करें। पत्रावली पेश तलवना दि० 19-12-22 को पेश करें।</p>
8/8	<p>19/12 न्यायालय उपखण्ड/पीठमैन अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली</p> <p>पत्रावली प्राप्त किया। तलवनी के लिए पत्र पेश किया हुआ। वादी जन व वादी वकील उपस्थित। वादी जन व वादी वकील ने आवेदन करवाया कि वादी जन प्रकरण डायरी नवी-चलाना बाधते हैं। वादी जन प्रकरण नो ट्रेजि में शामिल करना वादा है। उक्त मुक० 239/22 द्वारा श्यामलाल बनाम भूपेन्द्र नोटिस में वादा कि या मोल प्रमाण है। पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश करें।</p> <p>25-11-23</p> <p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>